हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0

स्थापना

हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम की स्थापना 2 जनवरी, 1971 को कम्पनी अधिनियम ,1956 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियो को आर्थिक एंव सामाजिक उत्थान के लिए 2,00 करोड रू0 की अधिकृत हिस्सा पूंजी से हुई जो अब बढाकर 50,00 करोड रू0 कर दी गई है। इस निगम को 49 प्रतिषत अंष पूॅजी केन्द्र सरकार से तथा 51 प्रतिषत अंष पूॅजी राज्य सरकार से प्राप्त होती है ।

उदेष्य

हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम का मुख्य उदेष्य अनुसूचित जाति के सदस्यो को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओ के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनका जीवन स्तर ॅंचा उठाना है ।

स्कीमें

हरियाणा अनुसेचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यो क लिए चलाई जा रही मुख्य स्कीमे :–

बैंकों के सहयोग से

निगम अनुसूचित जाति के बी पी एल परिवारो को जिनकी वार्षिक आय ग्रमीण क्षेत्रो मे 20,000/– रू0 तथा शहरी क्षेत्रो मे 27,500/–रू0 है को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओ जैसे जैसे पशु पालन, हथकरधा, आटा चक्की, दरी बनाना, चमडा कार्य और चमडे के कार्य, फोटोग्रफी तथा आटो रिक्षा ईत्यादि स्कीमो के लिए 1,50 लाख रू0 तक वित्तीय सहायता बैको के माध्यम से उपलब्ध करवाता है। इन स्कीमो क अधीन निगम द्वारा कुल योजना लागत का 50 प्रतिषत अनुदान के रूप में (अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000/–रू0 है) 10 प्रतिषत सीमान्त धन के रूप में तथा शेष बैंको के बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है । सीमान्त धन 4 प्रतिषत वार्षिक दर से दिया जाता है । जिसकी वसूली साढे पॉच वर्षो में छः माही बराबर किस्तो में की जाती है । पहले छः मास में केवल ब्याज की वसूली की जाती है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित एंव विकास निगम की सहायता से

कार (टैक्सी),आटोरिक्षा डीजल खरीद योजना, हल्के बाणिज्यिक वाहन खरीदना ,लधु व्यवसाय योजनां आदि।

इन स्कीमो के अधीन लक्ष्यों के आधार पर आवेदन पत्र समया –समय पर आमन्त्रित किये जाते है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम के सौज्न्य से चलाई जाने वाली इन स्कीमो के अधीन परिवारिक वार्षिक आय ग्रमीण क्षेत्रो में 81,000/– रू0 तथा शहरी क्षेत्रो में 103000/–रू0 निर्धारित है । इन स्कीमो के अधीन बी पी एल प्रार्थीयो को अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000/–रू है । ब्याज की दर 6 प्रतिषत वार्षिक है तथा ऋण की वसूली मासिक /त्रेमासिक /छः माही किस्तो में पॉच बर्षो में की जाती है ।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित एवं विकास निगम की सहायता से :–

हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित एवं विकास निगम के वित्तीय सहयोग से राज्य के सफाई कर्मियो तथा उनके अश्रितों, जो किसी प्रकार से सैनोटेषन (सफाई) कार्य मे लगे हुए है को स्वयं रोजगार हेतू विभिन्न स्कीमो जैसे बैडबाजा, फोटोग्राफी, ब्यूटीपार्लर,बुटीक, दवाईयोंकी दुकान, स्टेषनरी,/किताबो की दुकान,फर्नीचर अथवा ईमारती, लकडी का कार्य,आटा चक्की,कम्पयूटर का कार्य,फोटोस्टेट–कम–एस,टी डी, बुथ, आटो रिपेयर मोबाईल मुरम्मत, बाणिज्यिक वाहन (कमीर्षियल व्हीकल्स),जीप (डीजल–10सीटर,) कार टैक्सी,(डीजल–5 सीटर) तथा आटो (डीजल) आदि के लिए 5,00 लाख रू0तक ऋण उपलब्ध करवाता है, परन्तु सफाई सम्बन्धी कार्यो /औजार हेतू 10,00 लाख रू0 तक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है। आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी हो तथा वह स्वयं सफाई कर्मचारी हो अथवा उन पर आश्रित हो को स्थानीय राजस्व अधिकारी (उपमण्डल अधिकारी नागरिक/तहसीलदार) अथवा नगर पालिका /परिषद/नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी तथा सरकारी विभागो के प्रमुख जैसे कि स्कूल, कालेज, फोरस्ट, स्वास्थ, षिक्षा, पषुपालन जिनका पद राजपत्रित अधिकारी से नीचे न हो, नगर पालिका /निगम के निर्वाचित सदस्य एवं ग्रम पंचायत के प्रधान और सेना छावनी के केस मे छावनी के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ब्याज की दर 6 प्रतिषत वार्षिक है तथा ऋण की वसूली (स्कीम की प्रकृति अनुसार) मासिक/त्रैमासिक /छः माही किस्तों मे की जायेगी ।

ऋण आवेदन पत्र

ईच्छुक आवेदक निगम के जिला प्रबधक कार्यालय मकान न0 126 वार्ड न0 1 तावडू रोड नियर लाईफ लाईन होस्पीटल से ऋण आवेदन पत्र पॉच रू0 के भुगतान पर प्राप्त कर सकता है।

कार्यालय की बर्षवार प्रगति रिर्पोटः—

बर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	सीधा ऋण	अनुदान राषि	मार्जनमनी	बैंक ऋण	कुल राषि
2006-07	200	169	7.93	14.73	2.66	30.58	55.90
2007-08	225	233	8.79	21.11	5.21	56.45	91.51
2008–09	250	166	…….	14.50	4.20	42.13	60.83
2009-10	300	325	17.09	27.26	8.11	83.73	136.19
2010-11	225	177	…..	18.45	4.78	47.05	65.28
2011-12	200	202	3.91	16.24	5.56	56.32	81.03
2012-13	200	200	3.22	15.12	6.27	67.79	92.40
2013-14	200						